में जारी हुए

रामफूल बनाम राज0 सरकार

किस्म मुकदमा : राजस्व अपील

मु0नं0 35/2018

14.3.2018 अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। प्रकरण में अधिवक्ता प्रार्थी श्री निर्मल कुमार शर्मा को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली दर्ज रजिस्टर होकर सम्मन जारी हो। अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक 9.4.2018 को पेश हो।

तदरीख 8464 15-3-18

सम्मन 8525 21-3-18

9-4-18 अधिवक्ता अपीलांट उपस्थित। बैठकर तहसील रेस्पोडेन्ट एवं अधीनस्थ न्यायालय का मूल रिकार्ड तलब कर पत्रावली दिनांक 9-5-18 को पेश हो।

नोटिस तहसीलदार 8838-39 24-4-18

9-5-18 अपीलांट उपस्थित। पत्रावली राजस्व लोक अदालत "न्याय आपके द्वार-2018" में आज पेश हुई। अपीलांट द्वारा उपस्थित होकर निवेदन किया गया कि प्रार्थी द्वारा प्रश्नगत राजकीय भूमि पर धड़ी छप्पर लगाकर किये गये कब्जे को हटा लिया गया है। प्रार्थी उक्त अपील को आगे नहीं चलाना चाहता है। अतः अपीलांट के अनुरोध पर अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार नहरावण्डा निर्णय दिनांक 25-8-2015 मु.नं. 142/2015 उनवान सरकार बनाम रामफूल के विरुद्ध प्रस्तुत अपील खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का मूल रिकार्ड लौटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं प्रविष्ट लेख भण्डार हो। निर्णय आज दिनांक 9-5-18 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

मैं रामकरण सैनी पुत्र लाल सैनी निवासी खवास वाली तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़ अपीलांट रामफूल पुत्र बाबूलाल जाति माली निवासी मोचिगपुरा को पहचानता हूँ रामकरण सैनी

मैं रामफूल पुत्र बाबूलाल जाति माली राजकीय भूमि से कब्जा हटा लिया है अपील को आगे नहीं चलाना चाहता हूँ

अति0 जिला कलक्टर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official